डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ. रायपुर/17/2001.

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2002—माघ 5, शक 1923

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बलौदा बाजार

बलौदा बाजार, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

रा. प्र. क्र. 1 ब/113 वर्ष 98-99.—चूंकि श्री हिम्मत लाल वर्मा पिता श्री राम वर्मा, साकिन-कौड़िया ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के पंजीयन के लिए निवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति/दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 30-1-2002 को समय 10.30 बजे दिन को होगी.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम पता : श्री हिम्मत लाल वर्मा प्रमुख ट्रस्टी वेदमाता गायत्री समिति पलारी.

2. चल संपत्ति : चल संपत्ति का मूल्यांकन 4,845/- किया गया है.

3. अचल संपत्ति : ग्राम पलारी स्थित ख. नं. 1127/1 के रकबा 2.243 हे., पर कमरा, एक कुआं एवं पक्का बाऊंड्री दीवाल.

आज दिनांक 10-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया.

एच. एल. नायक,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2002

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1) (1951 का 30 वाँ) की धारा 5 की उपधारा (2) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

श्री पार्श्वनाथ स्वेतांबर जैन ट्रस्ट नेहरू नगर भिलाई

क्रमांक 1534/प्र. 1/अ. वि. अ./2001.—चूंकि श्रीमति शांता गोलछा जौ. श्री तिलोक गोलछा, निवासी 47/1 नेहरू नगर पूर्व भिलाई ने मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-क 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28-2-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 28-1-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम : श्री पार्श्वनाथ श्वेताम्बर जैन ट्रस्ट नेहरू नगर भिलाई (पूर्व) तहसील व जिला दुर्ग.

2. ट्रस्ट की सम्पत्ति : रुपये 5001/- (पांच हजार एक रुपये)

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2002

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1) (1951 का 30 वाँ) की धारा 5 की उपधारा (2) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

मानवीय शिक्षा शोध न्यास सौभाग्य वाटिका ग्राम उमर पोटी

क्रमांक 1532/प्र. 1/अ. वि. अ./2001.—चूंकि शारदा शर्मा आ. ए. नागराज शर्मा निवासी भजना अमरकंटक, जिला शहडोल (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 28-1-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मै, नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 28-1-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम :	मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास, सौभाग्य वाटिका ग्राम उमरपोटी, पोस्ट एवं जिला दुर्ग.
2.	लोक न्यास की संपत्ति :	चल संपत्ति रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) नगरद

नितिन पंडित
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.